मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- चुनाव आयोग ने मोदी के आगे घुटने टेके
- महात्मा गांधी से क्यों डरता है आरएसएस — 3

- पंडित पलायन हो या जलता गोधरा, हिंदुत्व को क्लीन चिट देना ही राज धर्म! — 4

- बैठूं तेरी गोद में...उखाड़ूं तेरी दाढ़ी..चीनी माल और देशभक्त बहिष्कार! — 5

- भाजपा राज में भी कांग्रेसी सुमित गौड़ की दादागीरी कायम — 8

वर्ष 30 | अंक 23 | फरीदाबाद | 16-31 अक्टूबर 2017 | फोन : - 9999595632 | ₹ 2

गोमांस के बहाने भीड़ ने रस्सी में बांधकर पीटा

सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और मानवाधिकार आयोग की तमाम सख्त बयानों का गौ गुंडों के लिए कोई मायने नहीं बन रहा, क्योंकि आजतक एक भी गौ गुंडे कोई सजा नहीं हुई है...

फरीदाबाद। हरियाणा के जिला फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिगौच से मीट लेकर आ रहे ऑटो चालक आजाद और उनके 15 वर्षीय मित्र को गौ मांस के संदेह में भीड़ ने इस कदर पीटा है कि युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं।

फरीबादाद के एनआइटी-3 क्षेत्र के निवासी आजाद और उसके 15 वर्षीय मित्र को नंगला रोड पर करीब आधा दर्जन युवकों ने सुबह उस समय रोक लिया जब वे फतेहपुर बिगौच से मीट लेकर फरीदाबाद की ओर जा रहे थे। ये युवक गोमांस के बहाने दोनों को बंधक बनाकर पास के गांव बाजड़ी में ले गए।

आजाद और उसके मित्र के बाजड़ी पहुंचने पर गांव के काफी लोग इकट्ठा हो गए। बंधक बनाए गए दोनों युवकों को लाठी डंडे व रॉड से जमकर पीटा गया।

उसके ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती आजाद का कहना है कि मारने वालों ने उसे हिंदू धर्म के प्रतिकों की जय बोलने के लिए भी मजबूर किया।

दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि भीड़ में से किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उसे बचाया। सहायक उपनिरीक्षक सुंदर के अनुसार गंभीर रूप से घायल आजाद को दिव्यांग को अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

गौरतलब है कि गोमांस के नाम पर जारी गुंडई से तंग आकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत-संज्ञान लेते हुए रा%य और केंद्र सरकार को सख्ती से निपटने का आदेश दिया था। कोर्ट ने गुंडई रोकने के लिए हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी आदेश दिया था।

मोदी-खट्टर सरकार: गौ गुन्डों के आगे लाचार, हर बार

दिनांक 13 अक्तूबर को गौ-भक्ति के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले तथाकथित गौ रक्षकों ने उन 5 लोगों पर कातिलाना हमला कर दिया जो अपने आटो रिक्शा में भैंस का मीट लेकर जा रहे थे, लेकिन पुलिस की नजर में यह सामान्य मार-पीट का केस भर ही हुआ। दूसरे शब्दों में पुलिस ने भविष्य में ऐसी गुन्डागर्दी करनेवालों को बजाय सबक सिखाने के उल्टा शह ही प्रदान कर दी।

मुजेसर क्षेत्र के बाजरी गांव के निकट प्रात: करीब 5-6 बजे आजाद, शहजाद, अहसान व 2 अन्य के साथ जानलेवा हमला हुआ। वे दो आटो रिक्शाओं में भैंस का मांस भर कर ओल्ड फ़रीदाबाद की ओर जा रहे थे। घात लगाये तथाकथित गौ रक्षकों ने उन्हें घेर कर पीटना शुरू कर दिया तथा मौके पर पुलिस को भी बुला लिया। पुलिस के सामने ही 15-20 लोग उन्हें बुरी तरह मारते-पीटते रहे। इस दौरान तीन जने तो भागने में कामयाब हो गये, शेष दो पिटते रहे। इनमें से एक आजाद पर जब पेट्रोल डाल कर उसे ज़िंदा जलाने का प्रयास किया गया तब जाकर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। फिलहाल, गंभीर जख्मी हालत में आजाद बीके अस्पताल में भर्ती है।

सीधा-सीधा यह जघन्य हत्या के प्रयास का मामला था। सब कुछ घटा भी पुलिस की उपस्थिति में। इसके लिये भारतीय दण्ड संहिता में धारा 307 का प्रावधान है। लेकिन पुलिस में यह धारा लगाई ही नहीं। यानी, दिखाने को कार्रवाई भी हो गई और गुन्डों का मनोबल भी बना रहा। मोदी-खट्टर की सरकार का यही रवैया रहा है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथा कथित गौ रक्षकों की शिकायत पर बिना कोई तसदीक किये आजाद आदि के विरुद्ध गौ हत्या का नामजद मुकदमा तो तुरंत दर्ज हो गया लेकिन तसदीक के बाद जब मीट भैंस का पाया गया तो एक कमजोर सा मुकदमा आजाद के चाचा की ओर से दर्ज कर लिया गया वह भी अज्ञात लोगों के विरुद्ध । खबर लिखे जाने तक पुलिस ने तीन तथाकथित गौ रक्षकों दलीप, लखन व किशोर को धारा 148,149, 341, 323 व 506 के तहत गिरफ़्तार कर लिया है, बाकियों की तलाश जारी है।

संदर्भवश, बल्लबगढ (ऊंचा गांव) की गौशाला में 6, कुरूक्षेत्र में 30 तथा जयपुर की गौशाला में हजार से ऊपर गायें सड़-सड़ कर व तड़प-तड़प कर मर गयीं, तब तो कोई गौ रक्षक उन हत्यारों के विरुद्ध खड़ा नहीं हुआ। जाहिर है, सारा खेल गौशाला की आड़ में अनुदान खाने का और गौ रक्षा की आड़ में फिरौती बांधने का होता है। बाजड़ी की घटना अपनी फिरौती मजबूत करने के लिये की गई थी।

मुख्यमंत्री खट्टर तो खैर किसी गिनती में नहीं आते। यहां तक कि शायद ही कोई दिन खाली जाता होगा जब स्वयं मोदी जी मंच से दहाड़ कर न कहते हों कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उसके बावजूद राजस्थान में थाने के सामने पहलू खान को इन्हीं गुंडों ने जान से मार डाला तथा पुलिस के चालान तैयार करने के बाद भी विशेष तफ़्तीश करा कर सभी दोषियों को बरी भी कर दिया गया।

देश के कोने-कोने में आये दिन ऐसी घटनायें हो रही हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि मोदी जी दहाड़ते रहेंगे और उनके चेले-चाटे संघी एजेंडे को आगे बढाते जायेंगे। हिन्दू-मुस्लिम में अधिकाधिक तनाव बनाये रखना ही इस एजेंडे का एक मात्र लक्ष्य है।

एक प्रधानमंत्री जो सच नहीं बोल सकता

अब रोजगार आंकड़ों का फर्जीवाड़ा

नई दिल्ली (म.मो.) दिनांक चार अक्तूबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में कंपनी सचिवों के सम्मलेन को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सामने फिर झूठ बोला। उन्होंने अपने एक डेढ़ घंटे के भाषण में नोट बंदी के बाद आई मंदी की बात को झूठलाते हुए एक लाख लोगों को रोजगार देने के जो आंकड़े दिए वे बिल्कुल झूठे थे। उन्होंने ई पी एफ विभाग में जनवरी से मार्च 2017 के दौरान लाखों लोगो के जुड़ने यानि सदस्य बनाये जाने का जो उदाहरण दिया है वह बिलकुल झूठा है चाहे तो कोई भी इसकी जांच करवा सकता है।

नोट बंदी के बाद श्रम मंत्री ने अपने मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पी एफ विभाग के साथ साथ सभी कंपनियों को एक सर्कुलर भेज कर उनके यहाँ कार्यरत कर्मचारी जो कि पी एफ के सदस्य बनने हेतु पात्र तो थे लेकिन सदस्य नही बनाये गए थे, उनको सदस्य बनाने हेतु स्वेच्छिक घोषणा करने के बारे में था। इस सर्कुलर के अनुसार कोई भी नियोक्ता एक अप्रैल 2009 से 31 दिसम्बर 2016 के बीच नियुक्त किये गए ऐसे कामगारों जो पी एफ के सदस्य नही थे लेकिन सदस्यता हेतु पात्र थे , को केवल एक रुपये वार्षिक की क्षतिपूर्तिदंड के साथ सदस्य बना सकता था। कहने को तो ये योजना स्वैच्छिक थी लेकिन इसके लिए विभाग के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित करवा कर सारे स्टाफ को लगा दिया था। सी पी एफ सी प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा अपने माहतहत अफसरों से प्रगति रिपोर्ट लेता था जो उनके मनमाफिक नही होती थी जिस पर अफसर एक दूसरे के सामने खूब बेइज्जत किये जाते थे।

इस बारे में पी एफ विभाग से रिटायर एक अधिकारी ने 'मजदूर मोर्चा' को बताया कि अफसरों ने भी अपनी बेइज्जती से बचने को अगस्त 2016 की इ सी आर यानि दिसम्बर माह की रिटर्न के अनुसार दिसम्बर माह में जिन अंशदाताओं का अंशदान जमा हुआ था उन्हें ही अनेक कंपनी मालिकों से मिलकर जनवरी में पुन: रिपीट करवा दिया गया और ये सिलसला मार्च तक चलता रहा क्योंकि कोई भी नियोक्ता इसके लिए तैयार ही नही हुआ। यदि वो ऐसे सभी लोगों को सदस्य बनाता तो उसको उनका पी एफ आगे भी भरना पड़ता जिसके लिए वह तैयार नही था। दूसरे उसे अपना व कर्मचारी दोनों का अंशदान भी भरना पड़ता। हालाँकि बाद में सी पी एफ सी को भी इसकी जानकारी हो गई थी लेकिन उन्हें भी अपनी इज्जत श्रम मंत्री से बचानी थी सो वे भी मौन हो गए। इस प्रकार ये योजना पूरी तरह से फ्लाप रही और जो नए पी एफ के सदस्य बढे दिखाए गए वह वास्तविकता से कोसो दूर है।

ईएसआई अस्पताल में सुविधायें होतीं तो ड्राइवर भगत सिंह बेमौत न मरता

फरीदाबाद (म.मो.) एस जी एम नगर निवासी भगत सिंह नागर ठेकेदारी में एम्बुलेंस ड्राइवर था। दिनांक 5 अक्टूबर को ईएसआई अस्पताल (एनएच-3) से वह एक रोगी को लेकर सफ़दरजंग के लिये निकला ही था कि एक कार से उसकी टक्कर हो गयी। इस दुर्घटना से उसके पेट में कुछ अन्दरूनी चोट लग गयी। वह वापस ईएसआई अस्पताल में आ गया। जांच पड़ताल हुई। अल्ट्रासाऊंड जांच भी हुई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन भगत सिंह का दर्द बढता गया। अगले दिन फिर अल्ट्रासाऊंड किया गया तो पता चला कि उसके पेट में खून का रिसाव हो रहा है।

इसके आगे की जांच करने व इलाज करने के बेहतरीन डॉक्टर तो ईएसआई अस्पताल में मौजूद हैं लेकिन आवश्यक यन्त्र, उपकरण आदि के अभाव में भगत सिंह को तुरंत निकटतम एस्कार्ट मेडिकल सेंटर में भेज दिया गया। यहां उसे 6 घंटे तक इमरजेंसी वार्ड में रखने के बाद कहा गया कि उनके यहां बेड (बिस्तर) खाली नहीं है, इसलिये इसे कहीं और ले जाओ। इस पर उसे सेक्टर 11 स्थित पार्क अस्पताल भेज दिया गया। इस अस्पताल की अकुशलता, कुप्रबंधन एवं तगड़ी लूट के चलते यहां आना लोग कम ही पसंद करते हैं। लिहाजा भगत सिंह को भी यहां पड़ने की जगह तो मिल गयी, लेकिन केवल मरने के लिये। अगले ही दिन यानी 8 अक्तूबर को उसकी मृत्यु हो गयी।

मृत्यु-उपरांत परिजनों ने शव को लेकर बी के चौक पर प्रदर्शन करने के बाद ईएसआई अस्पताल (एनएच-3) पर भी रोष प्रगट करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी मुआवजा और मृतक के आश्रित को नौकरी। जहां तक मुआवजे की बात है तो ईएसआई में कवर्ड होने के नाते ईएसआई नियमों के अनुसार मृतक के आश्रितों को मुआवजा व पेंशन मिलना तो तय है क्योंकि उसकी मृत्यु कार्य स्थल पर कार्य करते समय हुई थी; लेकिन नौकरी देने का प्रावधान ईएसआई कानून में है ही नहीं। मुआवजे व नौकरी की बात तो लोग उठाते हैं लेकिन भगत सिह की मौत के लिये जिम्मेदारी तय करने पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता। 'मज़दूर मोर्चा' बरसों से इसी समस्या को उठाता आ रहा है।

मज़दूरों के वेतन से साढ़े 6 प्रतिशत प्रति माह वसूल कर आज ईएसआई कार्पोरेशन के खजाने में 70 हज़ार करोड़ से अधिक का मुनाफ़ा जमा हो चुका है। अकेले हरियाणा से ही 30 लाख (भगत सिंह जैसे) मज़दूर औसतन 10 हज़ार प्रति वर्ष मज़दूर के हिसाब से 300 करोड़ रुपया प्रति वर्ष ईएसआई कार्पोरेशन को देते हैं लेकिन इलाज के नाम पर उनके हिस्से में मौत आती है। एस्कॉर्ट समेत तमाम व्यापारिक अस्पताल जनता का इलाज करने को नहीं बैठे हैं, ये सब जनता को लूटने के लिये बिसात बिछाये बैठे हैं।

भगत सिंह के लिये एस्कॉर्ट में बेड खाली इसलिये नहीं था क्योंकि ईएसआई ने जो फ़ीस देनी थी उससे दुगणी-तिगणी देने वाले ग्राहक उनके पास पहले से मौजूद थे। जाहिर है कोई भी व्यापारी एक रुपये वाले ग्राहक के लिये दो या तीन रुपये वाले को कैसे छोड़ देगा ? कभी न छोड़ेगा। कोई मरता है तो मरे उनकी बला से। ईएसआई के रेट कान्ट्रेक्ट वाले मरीज़ों को ये अस्पताल केवल तभी भर्ती करते हैं जब उनके पास अधिक फ़ीस देने वाले ग्राहक न हों।

इसी तर्ज पर एमआरआई व सीटी स्कैन कराने के लिये जो मरीज इन व्यापारियों के पास भेजे जाते हैं, उनका काम भी तभी होता है जब और कोई ग्राहक न हो। इसी चक्कर में कई बार तो ईएसआई के मरीज़ों को लम्बी तारीखें भी दे दी जाती है; जाहिर है देर से जांच होने पर इलाज भी देर से ही शुरू हो पायेगा, इस बीच कोई मरता है तो मरे।

ईएसआई कार्पोरेशन के दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठे निकम्मे एवं भ्रष्ट

शेष पेज दो पर